राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी— पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 84 / 2023 जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 204

हजारीलाल पुत्र भजनाराम उम्र 50 वर्ष जाति खटीक निवासी सिघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... वादी

— बनाम —

1. दाताराम पुत्र श्री हनुमान जाति गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. प्रकाश पुत्र श्री हनुमान जाति गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. सांवलराम पुत्र श्री हनुमान जाति गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. समाकोर पत्नि श्री शीशराम जाति गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
5. मुकेश पुत्र श्री शीशराम जाति गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
6. पवन पुत्र श्री शीशराम जाति गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
7. मन्जू पुत्री शीशराम जाति गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
8. सरला पुत्री शीशराम जाति गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
9. चन्द्रकला पुत्री शीशराम जाति गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
10. लेण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा— खाता विभाजन

—::निर्णय::—

दिनांक :—29.11.24

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)स्थित भूमि ख.न. 877 / 382 रकबा 0.2009 हैक्टर स्थित हैं इस भूमि मे वादी का 549 / 2009 हिस्सा हैं प्रतिवादी स.1 का 187 / 2009 हिस्सा प्रतिवादी स. 2 का 1273 / 6027 हिस्सा प्रतिवादी स. 3 का 1273 / 2027 हिस्सा हैं प्रतिवादी स. 4 लगायत 9 के हकपूर्वाधिकारी शीशराम

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

का 1273 / 6027 हिस्सा हैं शीशराम की मृत्यु हो चुकी हैं प्रतिवादी स. 4 लगायत 9 उसके विधिक वारीसान हैं ।

2. यह कि वाद वर्णित भूमि का पक्षकारो ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा हैं वादी की ग्राम भोदन स्थित भूमि ख.न. 874 / 382 हैं जिससे सटकर भूमि ख.न. 877 / 382 हैं इस भूमि के दक्षिणी पूर्वी भाग पर वादी का कब्जा हैं अर्थात् वादी का अपनी भूमि ख.न. 874 / 382 जिससे सटकर ही भूमि ख.न 877 / 382 के 549 / 2009 रकबा पर कब्जा हैं जिस पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज हैं।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने से वादी को अपने हिस्से की भूमि को अन्यत्र सम्परिवर्तन करवाने मे सीमाए कायम करने, ऋण आदि लेने मे काफी हक तलफी /परेशानी वादी को हो रही हैं जिससे ऐसी वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क).कि वाके ग्राम भोदन स्थित भूमि ख.न. ख.न. 877 / 382 का खाता विभाजित कर विभाजन मे वादी को भूमि ख.न. 874 / 382 से सटकर ख.न. 877 / 382 मे से 549 / 2009 हिस्सा दिया जाकर खाता विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर लगान अलग से कायम किये जाने कि कृपा करें।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 23.08.2023 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.08.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 574 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 318 दिनांक 07.02.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम भोदन स्थित भूमि हाल खाता संख्या 349 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–:: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके **ग्राम भोदन** स्थित भूमि **खाता संख्या 349** के ख0 न0 877 / 382 रकबा 0.2009 है. का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी— पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 84 / 2023 जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 204

निर्णय दिनांकः— 29/11/24

हजारीलाल **बनाम** दाताराम आदि

दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि —

'' न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके **ग्राम भोदन** स्थित भूमि **खाता संख्या 349** के ख0 न0 877 / 382 रकबा 0.2009 है. का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ—1 लगायत अ—3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/11/2024......को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)